कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
सहस्त्रधारा रोड़, कुल्हान, देहरादून।
फोन नं0 0135 2608106 फैक्स नं0–2608106

संख्या 6663 / प्रवर्तन / स0सु0 / 1–8(34) / 2017 दिनांक: 13 नवम्बर, 2017

सेवा में,

1–प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2– मुख्य अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग,
यमुना कॉलोनी, देहरादून।

3–रीजनल आफिसर,
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
58 / 37, बलवीर रोड,
डालनवाला, देहरादून।

विषयः **मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिनांक 27–02–2017 को दिये गये निर्देशों का अनुपालन किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिनांक 27–02–2017 के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्मित ब्लैक स्पॉट speed calming measures आदि का स्थल निरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

मा0 सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02–11–2017, 03–11–2017 व 06–11–2017 को राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग डोईवाला, ऋषिकेश, बड़कोट व विभाग के कार्यक्षेत्र में आने वाले मार्ग देहरादून डोईवाला, रायवाला, ऋषिकेश, हर्बटपुर, धर्मावाला, कुल्हाल, ढालीपुर, विकासनगर, डॉकपत्थर, यमुनापुल आदि स्थलों का स्थल निरीक्षण किया गया। लीड एजेन्सी द्वारा स्थल निरीक्षण के दौरान पायी गयी कमियों का उल्लेख कार्यवृत्त मे किया गया है।

अतः लीड एजेन्सी द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण की प्रति इस आशय के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया उपरोक्त सम्बन्ध मे तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही की आख्या अनिवार्य रूप से 30–11–2017 तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि तदनुसार मा0 समिति को अवगत कराया जा सके।

संलग्नः–यथोक्त।

भवदीया

(सुनिता सिंह)
अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

कार्यालय अधीक्षक
श्री दूरभाष
17 NOV 2017
देहरादून

6553

संख्या /प्रवर्तन / स0सु0 / 1–8(34) / 2017 समदिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– प्रमुख सचिव / सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मुख्य अभियन्ता, देहरादून क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, नेहरू कॉलोनी, देहरादून।
4– अधीक्षण अभियन्ता / नोडल अधिकारी, नवावृत्त, लोक निर्माण विभाग यमुना कॉलोनी, देहरादून।
5– अधीक्षण अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, वृत्त नेहरू कॉलोनी, देहरादून।
6– अधीशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, डोईवाला, बड़कोट।
7– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश / देहरादून।
8– सम्बन्धित अधिकारीगण।

(सुनीता सिंह)
अपर परिवहन आयुक्त,
G.L. उत्तराखण्ड।

लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02–11–2017 व 03–11–2017 को लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा हेतु किये गये उपायों के अन्तर्गत जनपद देहरादून में निर्मित speed calming measures का स्थल निरीक्षण का कार्यवृत्तः–

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिनांक 27–02–2017 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02–11–2017 व 03–11–2017 को देहरादून जनपद मे स्थापित किये गये speed calming measures का स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण के समय में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे:–

परिवहन विभागः–

1–श्री हीरा सिंह बर्गली, सहायक निदेशक(सड़क सुरक्षा) मुख्यालय।

लोक निर्माण विभागः–

1– श्री जे0पी0 गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सदस्य लीड एजेन्सी।

शिक्षा विभागः–

1–श्रीमती मधुबाला रावत, उप निदेशक, शिक्षा विभाग सदस्य लीड एजेन्सी।

पुलिस विभागः–

1–श्री प्रबोध घिल्डियाल, निरीक्षक, पुलिस विभाग, सदस्य लीड एजेन्सी।

उक्त तिथियों में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा अपने–अपने अधीनस्थ क्षेत्रों का स्थल निरीक्षण करवाया गया:–

1– श्री संजय सिंह, टीम लीडर, एन0एच0ए0आई0।

2– श्री एम0पी0एस0 रावत, अधीशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0 डोईवाला।

3– श्री आर0सी0 कैलखुरा, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश।

4– श्री प्रवीन कुश, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश।

5– श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, कनिष्ठ अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश।

6– श्री मनोज रावत, सहायक अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0–123 बड़कोट।

7– श्री पंकज शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड–123 बड़कोट।

8– श्री सुरेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0–72 डोईवाला।

9– श्री प्रमोद नेगी, अपर सहायक अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0–72 डोईवाला।

लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02–11–2017 को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण देहरादून डोईवाला, रायवाला मार्ग पर निम्नलिखित दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों का स्थल निरीक्षण किया गया जिनका विवरण निम्नवत है:–

1–मियांवाला पुल के पासः–

1.1 सम्बन्धित स्थल पर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड नहीं लगा पाया गया।

1.2 लिंक मार्ग मियांवाला पर स्पीड ब्रेकर नहीं बनाये गये हैं, जो सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक हैं।

1.3 सड़क के लेपित सतह के किनारे दोनों ओर टूटे हैं व कच्चा भाग सड़क से काफी नीचे है, जो सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है, अतः कच्चे भाग को सड़क की सतह तक किया जाना आवश्यक है, ताकि दुर्घटना को रोका जा सके व सम्बन्धित जंक्शन की बाईडिंग किया जाना आवश्यक है।

1.4 सम्बन्धित स्थल पर यातायात के दबाव को देखते हुये नियमित रूप से यातायात को नियंत्रण हेतु यातायात पुलिस की आवश्यकता प्रतीत होती है।

1.5 लिंक रोड के किनारे सड़क पर विद्युत पोल लगा पाया गया, जिसे हटाया जाना आवश्यक है।

1.6 मार्ग पर मानकों के अनुरूप कोई सूचनात्मक/चेतावनी का संकेतक चिन्ह नहीं पाया गया।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से कोई अधिकारी उपस्थित न होने के कारण उनके प्रतिनिधि श्री संजय सिंह, टीम लीडर को उपरोक्त स्थिति से अवगत कराते हुये इंगित कमियों को पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये।

2–कुंआवाला वनबीट चौकी के पासः–

2.1 सम्बन्धित स्थल पर डोईवाला की ओर जाते हुये बांयी ओर विद्युत पोल, ट्रांसफार्मर हेतु हट बनाई गयी है, जिसे हटाया जाना आवश्यक है।

2.2 मार्ग पर थर्मोप्लास्टि रोड मार्किंग नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में यह अवगत कराया गया कि सड़क का चौडीकरण करते समय सम्बन्धित कार्य करा लिया जायेगा।

2.3 सम्बन्धित स्थल पर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड नहीं लगा पाया है, जो लगाया जाना आवश्यक है।

2.4 डोईवाला से देहरादून की ओर आने वाली सड़क के किनारे पर बजरी/मलबा पड़ा हुआ पाया गया, जिससे दुर्घटना होने की सम्भावना है।

2.5 सड़क पर जगह–जगह गड्ढे पाये गये, जो दुर्घटना को बढ़ावा दे रहे हैं। सड़क के लेपित सतह के किनारे दोनों ओर टूटे हैं व कच्चा भाग सड़क से काफी नीचे है, जो सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है, अतः कच्चे भाग को सड़क की सतह तक किया जाना आवश्यक है, ताकि दुर्घटना को रोका जा सके।

3–हर्रावाला पुलिस चौकीः–

3.1 लक्ष्मण सिद्ध मन्दिर की ओर जाने वाले लिंक मार्ग पर रम्बल स्ट्रिप व कैट आईज स्थापित किया जाना आवश्यक है।

3.2 मुख्य मार्ग पर सौर ऊर्जा पीले विलिंकर के साथ दोनों ओर चेतावनी का बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है।

3.3 आबादी क्षेत्र की तरफ निर्धारित गति सीमा का बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है।

3.4 सम्बन्धित स्थल पर 100 मीटर के अन्दर सड़क पर गड्ढे पाये गये, जिन्हें तत्काल भरवाया जाना आवश्यक है।

4–फतेहपुर चौक, हरिद्वार रोड, लालतप्पड़ः–

4.1 सम्बन्धित स्थल आबादी वाला क्षेत्र है, निर्धारित गति सीमा व दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है।

4.2 सम्बन्धित स्थल पर पुलिया का निर्माण अधूरा पाया गया तथा नाले मे पानी का भराव पाया गया, सम्बन्धित स्थल पर सुरक्षा की दृष्टि से कोई कास्न बोर्ड / बेरियर नहीं लगा गया है, जिससे दुर्घटना होने की सम्भावना है।

5–मंगल पेट्रोल पम्प, लालतप्पड़:–

5.1 सम्बन्धित स्थल पर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड नहीं लगा पाया गया।

5.2 पेट्रोल पम्प को जाने वाले वाहनों के लिए सर्विस लेन का निर्माण नहीं किया गया है।

5.3 सम्बन्धित स्थल पर डिवाईडर पर घॉस जमी पाई गई, जिस कारण डिवाईडर दृष्टिगोचर नहीं है, जो सम्भावित दुर्घटना का कारण हो सकता है। अतः डिवाईडर ठीक कराये जाने के उपरांत थर्मोप्लास्टिक पेन्ट कराया जाय।

5.4 पेट्रोल पम्प के दूसरी ओर सड़क पर मलवा एकत्रित किया गया है, जिसे हटाया जाना आवश्यक है।

5.5 सम्बन्धित स्थल पर नेपाली फार्म की ओर पुलिया का कार्य अधूरा पाया गया। पुलिया के पास लिंक मार्ग पर रम्पल स्ट्रिप नहीं पाया गया, जिसे स्थापित किय जाने की आवश्यकता है। पुलिया के पास हाजपाईप खुला हुआ पाया गया, दुर्घटना को रोकने के लिए सम्बन्धित स्थल पर सुरक्षा हेतु कोई अवरोधक स्थापित नहीं किया गया, जिससे दुर्घटना की प्रबल सम्भावना बनी हुई है।

5.6 सम्बन्धित स्थल पर उत्तरांचल डेन्टल कॉलेज के पास हल्का कर्व होने के कारण चेतावनी साईन बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है।

5.7 सम्बन्धित स्थल के दोनों ओर लिंक मार्ग पर रम्बल स्ट्रिप तथा साईनेज नहीं लगे पाये गये जिन्हें स्थापित करवाया जाना आवश्यक है।

5.8 सड़क के लेपित सतह के किनारे दोनों ओर टूटे है व कच्चा भाग सड़क से काफी नीचे है, जो सड़क-दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है, अतः कच्चा भाग को सड़क की सतह तक किया जाना आवश्यक है, ताकि दुर्घटना को रोका जा सके।

6–निकट पी0एन0बी0 बैंक, हरिद्वार मुख्य मार्ग:–

6.1 सम्बन्धित स्थल पर वर्तमान में फोरलाईन मार्ग बन जाने के कारण दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र नहीं पाया गया। फिर भी आबादी का क्षेत्र होने के कारण निर्धारित गति सीमा व चेतावनी बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है।

6.2 सम्बन्धित स्थल पर सड़क के किनारे अनाधिकृत रूप से विज्ञापन बोर्ड लगा पाया गया, जिसे तत्काल हटाया जाना आवश्यक है।

7–छिद्दरवाला रायवाला:–

7.1 सम्बन्धित स्थल पर रायवाला की ओर सड़क के किनारे अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण पाया गया, जिससे दुर्घटना की सम्भावना बनी हुई है, जिसे हटाया जाना आवश्यक होगा।

7.2 दायी ओर सड़क पर निर्माण कार्य पूरा नहीं कराया गया है। सड़क पर साईनेज बोर्ड नही लगे पाये गये।

7.3 लिंक छिद्दरवाला मार्ग पर ब्रेकर नहीं पाये गये, जिससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है।

7.4 मुख्य मार्ग पर सौर ऊर्जा वाले पीले बिलिंकर के साथ दोनों ओर चेतावनी का बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है।

7.5 सड़क के किनारे बायीं ओर विद्युत पोल हटाया जाना होगा।

7.6 घनी आबादी क्षेत्र होने के कारण सम्बन्धित स्थल पर निर्धारित गति सीमा, दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड लगाया जाना आवश्यक था, जो नहीं लगाया गया है।

7.7 सम्बन्धित स्थल पर दोनों ओर पुलिया का कार्य अपूर्ण होने के कारण फोरलाईन का यातायात का दबाव एक ही मार्ग पर आ जाने व वाहनों का संचालन तेज रफ्तार में होने से दुर्घटना की सम्भावना बनी हुई है। अतः दोनों ओर पुलिया का निर्माण कार्य तत्काल पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

8—सत्यनारायण मन्दिर रायवाला:—

8.1 सम्बन्धित स्थल पर रम्बल स्ट्रिप नहीं पाये गये।

8.2 हरिद्वार की ओर जाने वाले मार्ग पर सड़क की बायीं ओर वन विभाग की चौकी संरेखण में पाई गयी है, जिसे हटाये जाने हेतु कार्यवाही की जाय।

8.3 सम्बन्धित स्थल पर सड़क पर डिवाइडर नहीं बनाये गये हैं, जिससे दुर्घटना की सम्भावना हो सकती है।

8.4 सत्यनारायण मन्दिर के पास मुख्य मार्ग पर गड्ढा पाया गया, जिसे तत्काल भरवाया जाना होगा, अन्यथा की स्थिति में कभी दुर्घटना का कारण बन सकता है।

8.5 सम्बन्धित स्थल पर दोनों ओर पुलिया का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है, जो तत्काल पूर्ण कराया जाना होगा।

8.6 सड़क के लेपित सतह के किनारे दोनों ओर टूटे हैं व कच्चा भाग सड़क से काफी नीचे है, जो सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है, अतः कच्चे भाग को सड़क की सतह तक किया जाना आवश्यक है, ताकि दुर्घटना को रोका जा सके।

9—खण्डगांव पुलिया रायवाला:—

9.1 रायवाला से आगे मुल्तान सेवा संस्थान की ओर जाने वाले मार्ग पर पुलिया का निर्माण कार्य तत्काल पूर्ण किया जाना आवश्यक है। सम्बन्धित स्थल पर नाली खुली होने के कारण कभी भी दुर्घटना की सम्भावना बन सकती है। निरीक्षण के दौरान लीड एजेन्सी द्वारा सम्बन्धित स्थल पर अस्थायी व्यवस्था के दृष्टिगत सुरक्षा हेतु ड्रम लगवाये गये।

9.2 सम्बन्धित स्थल घनी आबादी वाला क्षेत्र है अतः इस स्थल पर निर्धारित गति सीमा व दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र से सम्बन्धित चेतावनी बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है।

9.3 स्थल निरीक्षण के समय आस—पास के निवासियों द्वारा लीड एजेन्सी को यह अवगत कराया गया कि रायवाला बाजार में शराब की दुकान खुली होने के कारण सायंकाल 4—5 बजे से रात्रि तक अत्यधिक भीड़ होने व सड़क पर वाहनों को अनाधिकृत रूप से खड़ा करने के कारण दुर्घटनाएं होती है, अतः दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु नियमित रूप से पेट्रोलिंग/पुलिस चैकिंग की कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।

9.4 सम्बन्धित क्षेत्र के लगभग 800 मीटर मार्ग भाग पर जगह—जगह पर गड्ढे पाये गये, जिससे दुर्घटना की सम्भावना बढ़ गयी है, जिन्हें तत्काल भरवाया जाना होगा।

9.5 सम्बन्धित स्थल पर सड़क जक्शन का कार्य किया जाना आवश्यक है।

9.6 मुख्य मार्ग पर सौर ऊर्जा वाले पीले बिलिंकर के साथ दोनो ओर चेतावनी का बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है।

10--मोतीचूर रायवाला:--

10.1 सम्बन्धित स्थल पर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र व गुलदार/हाथी कोरीडोर बोर्ड नहीं लगे पाये गये।

10.2 मुख्य मार्ग पर जगह-जगह पर गड्ढे पाये गये, जिन्हें तत्काल भरवाया जाना होगा।

10.3 सड़क के लेपित सतह के किनारे दोनों ओर टूटे हैं व कच्चा भाग सड़क से काफी नीचे है, जो सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है, अतः कच्चे भाग को सड़क की सतह तक किया जाना आवश्यक है, ताकि दुर्घटना को रोका जा सके।

10.4 रेलवे फाटक से आगे पुल से पहले मार्ग के दोनों ओर धारक दिवार का निर्माण करते हुये सड़क का चौडीकरण किया जाना आवश्यक है।

10.5 पुल भाग क्षेत्र में जगह-जगह पर गड्ढे पाये गये, जिसे पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा।

11--काले की ढाल,हरिद्वार रोड ऋषिकेश:--

11.1 सड़क पर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र व हल्का मोड़ होने का बोर्ड नहीं लगा पाया गया।

11.2 ऋषिकेश की ओर जाने वाले मार्ग पर ढाल से उतरने वाले वाहनों के लिए रम्बल स्ट्रिप का निर्माण किया जाना आवश्यक होगा।

11.3 मार्ग पर डिवाइडर का निर्माण किया जाना आवश्यक है।

11.4 शास्त्रीनगर की ओर जाने वाले लिंक मार्ग पर कास्न बोर्ड/ब्रेकर का निर्माण किया जाना आवश्यक है।

11.5 मुख्य मार्ग पर सौर ऊर्जा पीले बिलिंकर के साथ दोनों ओर चेतावनी का बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है।

11.6 आबादी क्षेत्र होने के कारण निर्धारित गति सीमा का बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है।

12--भारद्वाज क्लीनिक के पास हरिद्वार रोड ऋषिकेश:--

12.1 रम्बल स्ट्रिप का निर्माण नहीं किया गया है।

12.2 सड़क के लेपित सतह के किनारे दोनों ओर टूटे हैं व कच्चा भाग सड़क से काफी नीचे है, जो सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है, अतः कच्चे भाग को सड़क की सतह तक किया जाना आवश्यक है, ताकि दुर्घटना को रोका जा सके।

12.3 दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, घनी आबादी क्षेत्र, निर्धारित गति सीमा सम्बन्धी बोर्ड नहीं लगे पाये गये।

12.4 सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण को हटाया जाना आवश्यक है।

13--आर0टी0ओ0 कार्यालय के पास, हरिद्वार बाईपास रोड:--

13.1 दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड नहीं लगा पाया गया।

13.2 मार्ग पर 4 से 5 रम्बल स्ट्रिप का निर्माण किया गया है, जो आई0आर0सी0 की गाईड लाईन्स के अनुसार निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है, जिसे मानकों के अनुसार पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

13.3 मार्ग पर निर्मित रम्बल स्ट्रिप दर्शनीय नहीं हैं। रम्बल स्ट्रिप पर थर्मोप्लास्टिक पेन्ट से पेंटिंग किया जाना आवश्यक है।

13.4 सड़क के लेवित सतह के किनारे दोनों ओर टूटे हैं व कच्चा भाग सड़क से काफी नीचे है, जो सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है, अतः कच्चे भाग को सड़क की सतह तक किया जाना आवश्यक है, ताकि दुर्घटना को रोका जा सके।

14--सात मोड़, देहरादून ऋषिकेशः--

14.1 ऋषिकेश की ओर से आने वाले वाहनों के लिए आधे मार्ग भाग पर रम्बल स्ट्रिप बनाया जाना आवश्यक है, ताकि मोड़ पर तीव्र गति से आने वाले वाहनों की गति को कम किया जा सके एवं दुर्घटना से बचा जा सके।

14.2 सम्बन्धित स्थल पर हाथी कोरीडोर क्षेत्र है, का बोर्ड नहीं लगा पाया गया।

14.3 मन्दिर के पास यद्यपि 3 रम्बल स्ट्रिप का निर्माण किया गया है, जो आई0आर0सी0 की गाईड लाईन्स के अनुसार निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं बनाया गया है।

14.4 सम्बन्धित स्थल पर ओवरटेकिंग, ब्लाइन्ड मोड़ का बोर्ड नहीं लगा पाया गया, जो लगाये जाने आवश्यक हैं।

15--काली मन्दिर देहरादून रोड ऋषिकेशः--

15.1 सम्बन्धित स्थल पर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड नहीं लगा पाया गया, जिसे लगाया जाना आवश्यक है।

16--छबरा तिराहा, सहसपुरः--

16.1 दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड नहीं लगा पाया गया।

16.2 मुख्य मार्ग पर रम्बल स्ट्रिप पर पेन्ट नहीं होने के कारण रम्बल स्ट्रिप दर्शनीय नहीं हैं। अतः रम्बल स्ट्रिप पर थर्मोप्लास्टिक पेन्ट कराया जाना आवश्यक है। साथ ही सड़क पर सड़क विभाजित पट्टी बनाया जाना आवश्यक है।

16.3 लिंक रोड पर 8 रम्बल स्ट्रिप बने हैं, जो आई0आर0सी0 की गाईड लाईन्स के अनुसार निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है।

16.4 सम्बन्धित स्थल पर दोनों ओर पेड़ की टहनियाँ सड़क पर फैली हुई पायी गयी, जिनकी कटिंग / लॉपिंग किया जाना आवश्यक है।

17--लांघा रोड तिराहा सहसपुरः--

17.1 इस स्थल पर ब्रांच रोड में निर्धारित गति सीमा, दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड नहीं लगा पाया।

17.2 ब्रांच रोड पर रम्बल स्ट्रिप का बोर्ड नहीं लगा पाया गया।

17.3 मुख्य मार्ग पर बने रम्बल स्ट्रिप में थर्मोप्लास्टिक पेन्ट नहीं किया गया है।

18--हरबर्टपुर मजार के पासः--

18.1 सम्बन्धित स्थल पर रम्बल स्ट्रिप नहीं बने पाये गये।

18.2 दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, हल्का मोड़ है, का बोर्ड नहीं लगा पाया गया।

18.3 स्थल पर मजार के पास स्थित पेड़ की लॉपिंग किया जाना आवश्यक है।

19--धर्मावाला चौक, सहसपुरः--

19.1 दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड नहीं लगा पाया गया।

19.2 रम्बल स्ट्रिप नहीं बनाये गये।

19.3 सम्बन्धित स्थल पर चौक के पास स्थित पेड़ को हटाया जाना आवश्यक है।

19.4 चौक का विभाजन कर जंक्शन बनाया जाना आवश्यक है, जिससे दुर्घटना होने से रोका जा सके।

19.5 सम्बन्धित स्थान पर जिला पंचायत, देहरादून द्वारा लदान, ढुलान शुल्क वसूल करते हुये पाये गये, जिनके द्वारा सडक के दोनों ओर चैक पोस्ट स्थापित कर अस्थायी बेरियर सडक पर रखे गये हैं, जिस कारण भार वाहनो के खडे होने से अन्य वाहनों की आवाजाही बाधित हो रही है, जिससे दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है। अतः राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनाधिकृत रूप से स्थापित चैक पोस्ट को हटाया जाना आवश्यक है।

20--कुल्हाल से पहले पावर हाउस मोड़ विकासनगर :--

20.1 सम्बन्धित स्थल पर रम्बल स्ट्रिप नहीं बनाये गये हैं।

20.2 मुख्य मार्ग पर विभाजन पट्टी का निर्माण नहीं किया गया है।

20.3 सम्बन्धित स्थल पर तीव्र मोड ढलान क्षेत्र है। अतः इस स्थल पर रम्बल स्ट्रिप, कैट आईज स्थापित किये जाने की आवश्यकता है।

20.4 दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र व निर्धारित गति सीमा का बोर्ड नही लगा पाया गया, जिसे लगाया जाना आवश्यक है।

21--ढालीपुर मोड़ पौन्टा रोड विकासनगरः--

21.1 सम्बन्धित स्थल तीव्र ढलान है। अतः तीव्र ढलान सम्बन्धी चेतावनी बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है।

21.2 कैट आईज स्थापित करने की आवश्यकता है। रम्बल स्ट्रिप पर थर्मोप्लास्टिक पेन्ट लगाये जाने की आवश्यकता है।

21.3 ढलान पर उतरते हुये वाहनों की गति कम करने के लिए आधे मार्ग भाग पर ब्रेकर बनाया जाना आवश्यक है।

22--लेहमन पुल के पास विकासनगर:--

22.1 सम्बन्धित स्थल पर रम्बल स्ट्रिप पर थर्मोप्लास्टिक पेन्ट नहीं लगा पाया गया।

22.2 दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का चेतावनी बोर्ड नही लगा पाया गया।

22.3 सम्बन्धित स्थल पर पेड़ों की लोपिंग/कटिंग की जानी आवश्यक है।

22.4 सड़क के किनारे लगे विद्युत पोल को हटाया जाना आवश्यक है।

22.5 सड़क के किनारे दोनों ओर अतिक्रमण को हटाया जाना आवश्यक है।

23--ब्राईट एंजल स्कूल लाईन जीवनगढ़:--

23.1 दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, आगे स्कूल है, का बोर्ड नही लगा पाया गया।

23.2 रम्बल स्ट्रिप दर्शनीय नही है, जिनपर थर्मोप्लास्टिक पेन्ट कराया जाना आवश्यक है।

23.3 बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत स्कूल के गेट के पास निर्मित बरसाती नाले को कवर किया जाना आवश्यक है तथा सड़क का कच्चा भाग सड़क के लेपित स्थल से काफी नीचा है जिसको सड़क की सतह तक समान किया जाना आवश्यक है तथा उक्त सड़क पर गड्ढों को भरा जाना भी आवश्यक है।

23.4 स्कूल के दूसरी ओर दून वैल्डिंग द्वारा मार्ग पर सामान ईंट/बजरी एकत्रित कर अतिक्रमण किया गया, जो दुर्घटना को बढावा दे रहा है जिसे हटाया जाना आवश्यक है।

23.5 सम्बन्धित स्थल पर पैराफिट वॉल बनाया जाना आवश्यक है।

23.6 सम्बन्धित मार्ग पर स्थान--स्थान पर नगर पालिका द्वारा बोर्ड लगाये गये हैं, जो दुर्घटना के कारण बन सकते हैं, जिन्हें हटाया जाना आवश्यक है।

23.7 श्री पंकज अग्रवाल, ग्राम प्रधान, जीवनगढ़, मो0 नम्बर–9927675942 द्वारा लीड एजेन्सी को यह अवगत कराया गया कि जीवनगढ क्षेत्र में सड़क के किनारों पर व्यवसायियों द्वारा अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने पर समय–समय पर दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, उनके द्वारा जन सुरक्षा की दृष्टि से अतिक्रमण को हटाए जाने के सम्बन्ध मे आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया। अतः लीड एजेन्सी का सुझाव है कि विकासनगर क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण हटाये जाने हेतु जिला प्रशासन, पुलिस विभाग द्वारा समय–समय पर अभियान संचालित किये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है।

24–अम्बाड़ी मोड़ डॉकपत्थरः–

24.1 सम्बन्धित स्थल पर मुख्य मार्ग पर सौर ऊर्जा से संचालित पीला बिलिंकर व कैट आईज लगाये जाने की आवश्यकता है।

24.2 लिंक मार्ग पर रम्बल स्ट्रिप के साथ थर्मोप्लास्टिक पेन्ट कराये जाने की आवश्यकता है।

24.3 सड़क के किनारे पर अनाधिकृत रूप से सब्जी की दुकानें लगायी गयी हैं, जिनसे दुर्घटना होने की सम्भावना बनी रहती है, जिन्हें हटाया जाना आवश्यक है।

24.4 सम्बन्धित मार्ग पर पेड़ों की लापिंग किया जाना आवश्यक है।

25–यमुना पुल मोड़ बाडवाला, विकासनगरः–

25.1 यमुना पुल से पूर्व बाड़वाला की ओर रम्बल स्ट्रिप बनाया जाना आवश्यक है।

25.2 निर्धारित गति सीमा, दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, आगे मोड़ है, का चेतावनी बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है।

25.3 पुल से पूर्व लिंक मार्ग पर सौर ऊर्जा संचालित पीला बिलिंकर लगाये जाने की आवश्यकता है।

(i) राष्ट्रीय राजमार्ग 123 के 0.00 कि0मी0 से 16.00 कि0मी0 तक मार्ग के किनारों पर स्थित वृक्ष जो मार्ग को बाधित कर रहे हैं, की लॉपिंग करायी जानी आवश्यक है।

(ii) मार्ग पर परिवहन हेतु अवरोधक बने विद्युत पोल शिफ्टिंग हेतु कार्यवाही की जानी आवश्यक है।

(iii) नगर पालिका विकास नगर एवं नगर पंचायत हर्बटपुर के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगाये गये होर्डिंग्स जो यातायात में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, को हटाये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

(iv) राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर स्थानीय व्यापारियों द्वारा एकत्र किये गये ईंट, पत्थर, सरियाँ एवं दुकानों का सामान हटाये जाने हेतु पत्र कार्यवाही।

(प्रबोध थिल्डियाल)	(नाथूसिंह रावत)	(जे0पी0 मुन्ना)	(शिव प्रसाद बर्त्वाल)
निरीक्षक, पुलिस विभाग,	उप निदेशक, शिक्षा,	अधीक्षण अभियन्ता,	सहायक निदेशक,
सदस्य लीड एजेन्सी।	सदस्य लीड एजेन्सी।	सदस्य लीड एजेन्सी।	सदस्य लीड एजेन्सी।

लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 06--11--2017 को लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा हेतु किये गये उपायों के अन्तर्गत जनपद देहरादून में निर्मित speed calming measures का स्थल निरीक्षण का कार्यवृत्तः--

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिनांक 27--02--2017 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 06--11--2017 को देहरादून जनपद में स्थापित किये गये speed calming measures का स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण के समय में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे:--

लोक निर्माण विभागः--

1-- श्री जे0पी0 गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सदस्य लीड एजेन्सी।

शिक्षा विभागः--

1--श्रीमती मधुवाला रावत, उप निदेशक, शिक्षा विभाग सदस्य लीड एजेन्सी।

पुलिस विभागः--

1--श्री प्रबोध घिल्डियाल, निरीक्षक, पुलिस विभाग, सदस्य लीड एजेन्सी।

उक्त तिथियों में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा अपने--अपने अधीनस्थ क्षेत्रों का स्थल निरीक्षण करवाया गयाः--

1-- श्री मानवेद्र नेगी सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
2-- श्री मुकेश रतूड़ी अपर सहायक अभियन्ता, नि0 ख0, लोक निर्माण विभाग, देहरादून
3-- श्री शक्ति आर्य अपर सहायक अभियन्ता, नि0 ख0, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
4-- श्री मुकेश उनियाल कनिष्ठ अभियन्ता, नि0 ख0, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 06--11--2017 को लोक निर्माण विभाग देहरादून के अर्न्तगत देहरादून --धर्मावाला मार्ग पर निम्नलिखित दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया गया जिनका विवरण निम्नवत है:--

1-- सेन्टजूड चौराहा :--

1.1 मिडियन के कार्नर व मार्ग के लेपित सतह व डिवाइडर क्षतिग्रस्त पाया गया ।

1.2 यातायात संचालन हेतु स्थापित इलैक्ट्रिक लाइटें कार्यरत नहीं पायी गयी जिन्हें ठीक करवाये जाने की आवश्यकता है।

1.3 ट्रान्सपोर्ट नगर व मेहूवाला की ओर दोनों साइड पर रम्बल स्ट्रिप / कैट आईज लगाये जाने की आवश्यकता है।

1.4 सम्बन्धित स्थान पर यातायात नियंन्त्रण हेतु नियमित पुलिस कर्मी नियुक्त किये जाने की आवश्यकता है।

1.5 मार्ग पर थर्मोप्लास्टिक पेन्ट से मार्किंग किये जाने की आवश्यकता है।

2-- अन्ना हजारे चौकः--

2.1 लेपित सतह का किनारा क्षतिग्रस्त है, जिसको पूर्ण करवाया जाना आवश्यक है।

2.2 लिंक मार्गों पर स्पीड ब्रेकर के साथ कैट आईज लगाये जाने आवश्यकता है।

2.3 मुख्य मार्ग पर दोनों ओर सौर ऊर्जा से संचालित पीले रंग का विलिंकर (yellow blinker) लगाये जाने की आवश्यकता है।

2.4 सड़क से सटे बिजली के खम्भों को अन्यत्र सिफ्ट किये जाने की आवश्यकता है।

2.5 अन्नाहजारे चौक से तेलपुर चौक तक मुख्य मार्ग के दोनो ओर पटरियों पर अतिक्रमण किया गया है, जिससे सड़क की चौड़ाई कम हो गयी है अतः स्थानीय प्रशासन के द्वारा सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराये जाने की आवश्यकता है।

3– तेल पुरा चौक :–

3.1 सम्बन्धित स्थल पर दोनों ओर आबादी क्षेत्र है। अतः गति सीमा व दुर्घटना सम्भावित चेतावनी बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है।

3.2 इनर कर्व पर राकेश ऑटो रिपेयर द्वारा सड़क पर अतिक्रमण किया गया है, जिसे हटाया जाना आवश्यक है।

3.3 मुख्य मार्ग पर दोनों ओर सौर ऊर्जा से संचालित पीले रंग के विलिंकर (yellow blinker) लगाये जाने की आवश्यकता है।

3.4 सड़क व रम्बल स्ट्रिप पर थर्मोप्लास्टिक पेन्ट से सड़क मार्किंग की आवश्यकता है।

4– रतनपुरा चौक :–

4.1 सम्बन्धित स्थल पर दोनों ओर आबादी क्षेत्र है। अतः निर्धारित गति सीमा व दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र का चेतावनी बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है।

4.2 लिंक मार्गों पर स्पीड ब्रेकर व मुख्य मार्ग पर रम्बल स्ट्रिप, कैट आईज लगाये जाने की आवश्यकता है।

4.3 सड़क पर थर्मोप्लास्टिक पेंट की मार्किंग दृष्टिगोचर नहीं है। पुनः सड़क मार्किंग की आवश्यकता है।

5– चॉदनी चौक :–

5.1 मुख्य मार्ग पर रम्बल स्ट्रिप व दोनों ओर लिंक मार्गों पर स्पीड ब्रेकर लगाये जाने की आवश्यकता है ।

5.2 मुख्य मार्ग पर दोनों ओर सौर ऊर्जा से संचालित पीले रंग का विलिंकर लगाये जाने की आवश्यकता है।

5.3 दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र के दोनों ओर चेतावनी बोर्ड व निर्धारित गति सीमा के साइन बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है।

6– प्रतीतपुर :–

6.1 लिंक मार्गों पर स्पीड ब्रेकर व मुख्य मार्ग पर रम्बल स्ट्रिप व कैट आईज लगाये जाने की आवश्यकता है।

6.2 सड़क के नजदीक मन्दिर निर्माण का कार्य चल रहा है, सड़क अतिक्रमण व दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु मन्दिर की ओर कैश बैरियर लगाया जाना उचित होगा।

नोटः– 1– सम्बन्धित मार्ग मुख्यतः दिन में हिमाचल और हरियाणा की ओर जाने वाले छोटे चार पहियॉ वाहन चालकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, जबकि रात्रि में खनन व अन्य भारी मालवाहक वाहनों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता हैं। स्थानीय व्यक्तियों के अनुसार इस मार्ग पर अधिकांश दुर्घटनायें रात्रि के समय ही हुई हैं, जो कि अनियंत्रित रूप से संचालित मालवाहक व डम्परों के द्वारा हुई है।

अतः सुझाव है कि सम्बन्धित मार्ग पर संचालित वाहनों की गति सीमा को निर्धारित करते हुये निर्धारित गति सीमा बोर्ड लगाये जाने सम्बन्धी कार्यवाही के साथ ही ओवर लोडिंग वाहनों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही के लिये नियमित प्रवर्तन/पुलिस चैकिंग की व्यवस्था की जाय।

(प्रबोध धिल्डियाल)	(मधुबाला रावत)	(जे0पी0 गुप्ता) 9/11/17
निरीक्षक, पुलिस विभाग,	उप निदेशक शिक्षा,	अधीक्षण अभियन्ता,
सदस्य लीड एजेन्सी।	सदस्य लीड एजेन्सी।	सदस्य लीड एजेन्सी।